

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या-.....10.....सन् 2016-17

केश का प्रकारबिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा-9 के अंतर्गत जमाबंदी रद्दीकरण

अर्जीकार- ब्रजमोहन झा

प्रतिपक्षी:-

रामचन्द्र यादव वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
12-7-18	<p>अर्जीकार:- 1- ब्रजमोहन झा पिता स्व0 सत्यनारायण झा 2- सतीश चन्द्र झा पिता स्व0 बालाकान्त झा 3- प्रफुलचन्द्र झा 4- विनय चन्द्र झा पेसरान स्व0 बालाकांत झा साकिन-थाना वो अंचल-फुलपरास, जिला-मधुबनी।</p> <p>प्रतिपक्षी:- 1-रामचन्द्र यादव पेसर स्व0 भोगी लाल यादव 2-संतोष पासवान पेसर श्री लक्ष्मी पासवान, साकिन-थाना वो अंचल-फुलपरास, जिला-मधुबनी.....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 3- सोहन चन्द्र झा पेसर स्व0 नित्यानन्द झा साकिन-थाना वो अंचल-फुलपरास.....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष। 4- अंचल अधिकारी, फुलपरास.....प्रतिपक्षी तृतीय पक्ष।</p> <p>प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदक के वकालतन आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये पक्षकारों को अपना-अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद वाद को आदेशार्थ रखा गया। दोनों पक्षों की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत किया गया।</p> <p><u>आवेदक द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-</u></p> <p>1- विपक्षी प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी नं. 2396 नाजायज, गैरकानूनी, बेकार, बेअसर तथा निरस्त योग्य है।</p> <p>2- आवेदक एवं प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के पूर्वज ललित झा थे इजमाल परिवार के नाम से खाता नं. 145 खेसरा नं. 153 रकवा 1 बिगहा 1 कट्टा 3 धूर निबंधित केवाला से भूमि कय हुआ। ललित झा के पाँच पुत्रों के बीच बटवारा हुआ। दिनांक 15.03.1946 ई को खानदान में एक तकसीनामा अमल में आया जिस पर प्रतिपक्षी सोहन झा के पिता नित्यानन्द झा वो चाचा लोकानन्द झा का भी हस्ताक्षर है।</p> <p>3- जमाबंदी नं. 235 एवं 236 खेसरा नं. 153 के साथ अन्य जमीन सत्यनारायण झा के नाम से कायम हुआ जिसके आधार पर जमाबंदीदार द्वारा लगान अदाय किया जाता रहा। जमाबंदी नं. 390 जनार्दन झा पिता चौधराम झा के नाम से कायम हुआ।</p> <p>4- वर्ष 1969-70 में रिभिजनल सर्वे प्रारम्भ हुआ जिसमें खेसरा नं. 153,150,151 को मिलाकर नया खेसरा नं. 339 वादी एवं उनके पूर्वज के नाम से बनाया वो बाद में खेसरा नं. 153 का चन्द अंश सरकार द्वारा भूतही बालान तटबंध के लिए अधिगृहित किया जिसके मुआवजा प्राप्ति के लिए विपक्षी द्वितीय पक्ष से विवाद हुआ जिसमें आवेदक के पक्ष में मुआवजा राशि भुगतान का आदेश हुआ।</p> <p>5- पुराना खेसरा नं. 153 नया खेसरा नं. 339 के किसी अंश से चौधराम झा के वारिसानों को कोई सरोकार नहीं हुआ। इधर आकर विपक्षी द्वितीय पक्ष ने खेसरा नं. 153 पुराना 339 नया के निसवत एक नाजायज केवाला विपक्षी प्रथम पक्ष के नाम से तामिल कर दिया जिसके बुनियाद पर अंचल कार्यालय ने जमाबंदी नं. 390 से खारिज कर जमाबंदी नं. 2396 विपक्षी प्रथम पक्ष के नाम से कायम कर दिया जबकि जमाबंदी नं. 390 में खेसरा नं. 153 पुराना 339 का कोई रकवा सन्निहित नहीं है। इस प्रकार विपक्षी प्रथम पक्ष के नाम से कायम जमाबंदी संख्या-2396 रद्द होने योग्य है। विवादित जमीन का नया खतियान आवेदक के नाम बना है।</p>	
	<p><u>विपक्षी संख्या-1 एवं विपक्षी संख्या-2 द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-</u></p> <p>1-ललित झा विपक्षी के पूर्वज थे वो ललित झा को पाँच पुत्र था चौधराम झा अपने पाँचों भाईयों में सबसे छोटे थे वो उन्होंने अपने नाम से जमीन खरीद किया वो उस पर दखलकार हुये।</p> <p>2- पूर्व में सम्मिलित परिवार में बड़े के नाम से जमीन खरीदगी होती थी वो समझा जाता था कि सभी भाईयों का उसमें हिस्सा वो अधिकार है। चौधराम झा अपने भाईयों से अलग थे, इसलिए अपने नाम से उन्होंने उक्त जमीन खरीद किया एवं उस पर दखलकार हुये।</p> <p>3- विपक्षी संख्या-3 अपने हकीयत वो दखल कब्जा के तहत निबंधित दस्तावेज के द्वारा विपक्षी संख्या-1 एवं 2 के नाम से तहरीर वो तामिल किया। विपक्षी संख्या-1 वो 2 उक्त जमीन पर केवाला के बाद दखलकार हुये तथा दाखिल खारिज हुआ। विपक्षी संख्या-4 अंचल अधिकारी,</p>	

फुलपरास से पूरी जाँच पड़ताल कर केवाला को सही पाकर वो हकीयत वो दखल कब्जा पाकर विपक्षी संख्या-1 वो 2 के नाम से दाखिल खारिज से जमाबंदी संख्या-2396 कायम हुआ जिसका मालगुजारी अदा किया जा रहा है।

4- आवेदकगण द्वारा जमाबंदी रद्द का किया गया दावा बिल्कुल गलत है जो खारिज योग्य है। विपक्षीगण ने खतियान ईसरो बरही द्वारा तामिल केवाला संख्या-254 दिनांक-26.01.1899 बंशावली केवाला संख्या-9063 दिनांक-23.12.2015 जो विपक्षी संख्या-3 सोहन चन्द्र झा ने विपक्षी संख्या-1 वो विपक्षी संख्या-2 के नाम से तहरीर वो तामिल किया था वो मालगुजारी रसीद वो गैरह दाखिल किया है। न्यायहित में जमाबंदी रद्दवाद खारिज लायक है।

विपक्षी संख्या-3 द्वारा प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:-

1- आवेदकगण ने जो यह वाद जिस मीन संबंधी लाया है उक्त जमीन पूर्व में इसरो बरही के नाम से था जिसका खाता नं. 8/5 था। चौधराम झा विपक्षी संख्या-3 के पूर्वज थे जिन्होंने इसरो बरही से निबंधित केवाला के द्वारा उक्तज मीन खरीद किया। चौधराम झा एक पुत्र जनार्दन झा को छोड़ मरे। चौधराम झा के बंशज विपक्षी संख्या-3 सोहनचन्द्र झा हैं।

2- आवेदकगण भईयों झा के बंशज हैं। चौधराम झा अपने पाँचों भाईयों में सबसे छोटे थे जिन्होंने अपने नाम से जमीन खरीद किया वो उस पर दखलकार हुये। जिसका जमाबंदी संख्या-40 कायम हुआ।

3- चौधराम झा के बाद उनके पुत्र जनार्दन झा के नाम से रसीद कटने लगा वो जमाबंदी नं. 45 वो जमाबंदी नं. 40 कायम हुआ। चौधराम झा के बाद उनके पुत्र जनार्दन झा के नाम से रसीद कटने लगा वो जमाबंदी नं. 40 वो जमाबंदी नं. 360 कायम हुआ जिसका लगान विपक्षी सोहनचन्द्र झा अदा करते आ रहे हैं।

4- राज दरभंगा के कागज से भी यह स्पष्ट है कि राज दरभंगा द्वारा निर्गत प्रथम रसीद में सिर्फ चौधराम झा का नाम अंकित है तो चौधराम झा से हाल में रामेश्वर झा कैसे हुआ। विपक्षी संख्या-3 ने अपने हकीयत वो दखल कब्जा के तहत निबंधित दस्तावेज संख्या-9063 के द्वारा श्री रामचन्द्र यादव पेसर भोगीलाल यादव वो श्री संतोष कुमार पासवान पे0श्री लक्ष्मी पासवान सा0 मौजे-फुलपरास विपक्षी संख्या-1 वो 2 के नाम से तहरीर वो तामिल किया। विपक्षी संख्या-1 एवं 2 ने विपक्षी संख्या-3 को उचित मुआवजा का भुगतान किया।

5- विपक्षी संख्या-1 एवं 2 के नाम से अंचल अधिकारी, फुलपरास द्वारा जाँच पड़ताल कर दाखिल खारिज कर जमाबंदी नं. 2396 कायम हुआ जिसका मालगुजारी विपक्षी संख्या-1 एवं 2 अदाय करते आ रहे है वो दखलकार हैं। न्याय हित में उक्त जमाबंदी रद्द वाद खारिज लायक है।

अंचल अधिकारी, फुलपरास ने पत्रांक-891 दिनांक-18.08.2018 से दाखिल खारिज वाद अभिलेख संख्या-1775/15-16 उपलब्ध कराया है।

निष्कर्ष:-

आवेदक का आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, अंचल अधिकारी, फुलपरास से भेजे गये दाखिल खारिज वाद अभिलेख संख्या-1775/15-16 का अवलोकन किया। मैं पाया कि दोनों पक्षों के बीच रैयती भूमि को लेकर विवाद है। संबंधित पक्ष विवाद के समाधान हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अंचल स्तर से निष्पादित दाखिल खारिज वाद की सुनवाई हेतु अपीलीय सक्षम पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय है। इसी ऑब्जर्वेशन के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, फुलपरास को भेजें। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास को भी भेजें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

अप्र समाहर्ता,
मधुबनी।



अप्र समाहर्ता,
मधुबनी।

पत्र 21/12/2018 दिनांक 12.7.18
आदेश की प्रति को अंचल अधिकारी को भेजें
उक्त मुआवजा हेतु मुआवजा को भेजें
12.7.18
19/08/18